



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1940 (श०)

(सं० पटना 658) पटना, सोमवार, 16 जुलाई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई 2018

एस० ओ० 206 दिनांक 16 जुलाई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा—९६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या 877 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के स्थान पर “(i) श्री टी० जी० राठोड़, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर, सी०सी०आ०, सीजीएसटी एवं सी० एक्स०, राँची प्रक्षेत्र” अंक और शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21 / 2017 (खंड-2)-2046)]
आदेश से,
डा० प्रतिमा,
आयुक्त-सह-सचिव।

16 जुलाई 2018

एस०ओ० 206, दिनांक 16 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-21 / 2017 (खंड-2)-2046)]
आदेश से,
डा० प्रतिमा,
आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th July 2018

S.O. 206 Dated 16th July 2018 —In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the notification of the Commercial Taxes Department, S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, is amended, namely:-

In the said notification, for serial no. (i), the figure and words " (i) Shri T. G. RATHOD, Joint Commissioner, Central Goods and Services Tax, CCO, CGST & CX, Ranchi Zone" shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)2046)]

By Order,
DR. PRATIMA,
Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 658-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>